राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शंकरलाल बनाम पुन्नीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 875/2016	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
04/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम रामपुरावास चावण्डिया तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर स्थित भूमी खसरा नम्बर 178 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 230 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 309 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा के संबंध में यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमी भौरिया पुत्र कालू के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि रही है जिसको भौरिया पुत्र कालू के जीवनकाल में ही भोरिया पुत्र कालू ने वादी पुन्नीलाल पुत्र श्योराम, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र जिन्सी एवं प्रतिवादी संख्या 4 मेदा पुत्र जमन के हित में संयुक्त रूप में बहिस्सा बराबर बेचान करते हुये दिनांक 26.06.1963 को पंजीकृत विकय पत्र तस्दीक करा दिया, तब से ही उक्त खरीदादा भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज रहते आये एवं वादी अपने हिस्से का राजस्व लगान अदा करता आ रहा है एवं वादग्रस्त आराजी के संबंध में 1963 में किये गये विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादी एवं केता लक्ष्मीनाराणयण व मैदा के हित में नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई तथा विवादित भूमी भौरिया पुत्र कालू के नाम ही राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी में गलत दर्ज चलती रही तथा भौरिया पुत्र कालू की मृत्यु के उपरान्त फोती नामान्तरकरण सं019 के जरिये नानगराम व जमन का राजस्व इन्द्राज हो गया जो कि वादी के विधिक व काश्तकारी अधिकारों के विरूद्ध शून्य प्रभावी, प्रभावहीन रहा है एवं विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में पूर्व खातेदार के पुत्रान नानगराम व जमन के इन्द्राज होने की जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व उनके पिता लक्ष्मीनारायण को होने पर उन्होंने बदनियति से नानगराम व जमन से मिलीभगत करते हुये तथ्यों को छुपाकर नानगराम व जमन द्वारा सन् 1980 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र जन्सी के नाम से पुनः विक्रय पत्र तस्दीक करा लिया जो कि वादी के काश्तकारी एवं हक खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध प्रारम्भत ही शून्य होने स एब इनिशियों वोईड की परिभाषा मे आने से प्रभावहीन अवैध व शून्य है एवं अन्त में वादपत्र में यह रिलीफ चाही राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शंकरलाल बनाम पुन्नीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा डिकी फरमाकर वादग्रस्त भूमी में वादी को हिस्सा 1/3, प्रतिवादी 1 ता 3 को हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 4 को हिस्सा 1/3 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाये जाने एवं वादी के हिस्सा 1/3 की भूमि का सरस नरस मुताबिक विधिक बंटवारा किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट खरखड़ा में नियत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28/05/2016 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के सन्दर्भित तथ्यों एवं साक्ष्यो का विस्तृत विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28/05/2016 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी